न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 67/2018

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1 हेमाराम 2 गोमाराम 3 पूराराम 4 आम्बाराम पिसरान पदमाराम जाति जाट निवासी जोगेसर कुआ, गरल तहसील व जिला बाडमेर।		1 चूनीदेवी पुत्री पदमाराम पत्नी खूबाराम जाति जाट निवासी सांधवा तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर 2 मधदेवी पुत्री पदमाराम पत्नी घमण्डाराम जाति जाट निवासी मंडों का तला, जाखड़ों की ढाणी, 3 पदमाराम पुत्र खेमाराम 4 खींयाराम पुत्र हरजीराम 5 भगाराम 6 हेमाराम पिसरान जगरूपाराम 7 दली पत्नी जगरूपाराम जाति जाट निवासी जोगेसर कुआ, गरल तहसील व जिला बाडमेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 RTA Act.

उपस्थिति :– 1. श्री वीरमाराम चौधरी, वकील वादीगण।

निर्णय

दिनांक 23-9-19

संक्षिप्त में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद कथन इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 खेमाराम के वंशज है तथा हिन्दु होने से हिन्दु विधि से शासित है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 की पैतृक भूमि मौजा जोगेसर कुआ पटवार क्षेत्र गरल तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 453/433 रकबा 156.02 बीघा भूमि आई हुई है। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 03 के पिता खेमाराम के नाम भूमि पैमाईश होकर खेमाराम के नाम दर्ज हुई तथा खेमाराम की फौतगी पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के पिता प्रतिवादी संख्या 03 पदमाराम, हरजीराम व जगरूपाराम के नाम दर्ज हुई। उक्त वादग्रस्त पैतृक भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 02 के पिता प्रतिवादी संख्या 03 पदमाराम का 1/3 हिस्सा खातेदारी का है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 02, प्रतिवादी संख्या 03 पदमाराम के विधिक वारिस है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि में जन्म से ही हित निहित हो गया है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 प्रत्येक का वादग्रस्त भूमि में 1/21–1/21 हिस्सा खातेदारी का बनता है, जिसे घोषित करवाने की वादीगण अधिकारी है।

वकील प्रतिवादी संख्या 03 पदमाराम की और से वाद कथन को स्वीकार करते हुए ईकबाली जवाब एवं राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02, प्रतिवादी संख्या 03 पदमाराम के वंशज होने के कारण पैतृक भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 02 प्रत्येक का 1/21–1/21 हिस्सा जन्म से निहित है। वादीगण को उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01, 02 को प्रतिवादी संख्या 03 के साथ सहखातेदार घोषित कर 1/21–1/21 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है तो उसे कोई आपति नही है।

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner

वादी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र सामिल मिसल किया गया। वादी संख्या 01 द्वारा शपथ पत्र में अंकित किया कि वाद पत्र में अंकित समस्त कथन सही है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है। पैतृक भूमि में वादीगण का जन्म से हिस्सा निहित है। लिहाजा वादीगण को प्रतिवादी पदमाराम के साथ सहखातेदार घोषित करते हुए प्रत्येक का 1/21–1/21 हिस्सा घोषित किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2012 से 2031 एवं जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 एवं राजीनामा का भी अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजात के आधार पर वादग्रस्त भूमि पैतृक होना प्रमाणित है तथा पैतृक भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का हिस्सा जन्म से निहित है। माफिक राजीनामा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 अपना हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है। वकील वादीगण ने निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 03 पदमाराम की भूमि दिनांक 06.08.2019 को रहन मुक्त हो चुकी है।

अतः वादीगण का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा जोगेसर कुआ पटवार क्षेत्र गरल तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 453/433 रकबा 156.02 बीघा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को प्रतिवादी संख्या 03 पदमाराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी 01 से 03 प्रत्येक का 1/21–1/21 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 23.9.19 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर

Scanned by CamScanner

प्रपत्र – 5

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाड़मेर

पीठासन अधिकारी श्री नीरज मिश्र (आर.ए.एस.)

अनवान

अन्तिम डिक्री

वादीगण

1 हेमाराम 2 गोमाराम 3 पूराराम 4 आम्बाराम पिसरान पदमाराम जाति जाट निवासी जोगेसर कुआ, गरल तहसील व जिला बाडमेर।

बनाम

प्रतिवादी

1 चूनीदेवी पुत्री पदमाराम पत्नी खूबाराम जाति जाट निवासी सांधवा तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर 2 मधदेवी पुत्री पदमाराम पत्नी घमण्डाराम जाति जाट निवासी मंडों का तला, जाखड़ों की ढाणी, 3 पदमाराम पुत्र खेमाराम 4 खींयाराम पुत्र हरजीराम 5 भगाराम 6 हेमाराम पिसरान जगरूपाराम 7 दली पत्नी जगरूपाराम जाति जाट निवासी जोगेसर कुआ, गरल तहसील व जिला बाडमेर।

दावा बाबत् 88 रा.का.अ.
मुकदमा नम्बर :– 67/2018
निर्णय दिनांक :– 23.9.18

वकील वादीगण की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख .... को श्री नीरज मिश्र, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाडमेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिकरी निम्नप्रकार दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा जोगेसर कुआ पटवार क्षैत्र गरल तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 453/433 रकबा 156.02 बीघा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को प्रतिवादी संख्या 03 पदमाराम के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी 01 से 03 प्रत्येक का 1/21–1/21 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह आज तारीख 23.9.18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

(नीरज मिश्र)
पीठासन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, बाडमेर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4 .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्सप प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

Scanned by CamScanner